बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री रामेश्वर पासवान, आपूर्ति निरीक्षक, राघोपुर, सुपौल, जिनका स्थानांतरण विभागीय आदेश ज्ञापांक 3773 दिनांक 30.06.2010 द्वारा टेढ़ागाछ, किशनगंज किया गया था, को बार-बार राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिये जाने एवं अपने स्थानांतरित स्थान पर योगदान नहीं करने के फलस्वरूप सरकार के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

2. निलम्बन अवधि में श्री पासवान का मुख्यालय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिवालय(मु0) निर्धारित किया जाता है ।

3. श्री पासवान के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने से संबंधित ज्ञाप अलग से निर्गत किया जायेगा ।

(सत्य प्रकाश) 7/6
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-प्र08गो0नि0 सुपौल-18/2013 3545 /खाद्य,पटना/दिनांक 7.6.2013

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, सुपौल/जिला पदाधिकरी, किशनगंज/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल एवं किशनगंज/संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी-03/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री रामेश्वर पासवान, निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक राघोपुर, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक, श्री पासवान को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिवालय(मु0) में योगदान करने हेतु विरमित करने का कष्ट करें ।

विशेष कार्य पदाधिकारी। 7/6

D:\backup\Year_2012(p)\section_8(P)(Nov_11)\Off_ord..doc